राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1871/2025

मनोज कुमार यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी, खण्ड पशु चिकित्सालय पावटा, जिला कोटपूतली—बहरोड़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025
आदेश की दिनांक : 08.04.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पशु धन सहायक के पद पर उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, कोटपूतली बहरोड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र दयालपुरा, पाली में बिना प्रशासनिक आवश्यकता के स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसकी पत्नी का जुड़वा बच्चों के साथ गर्भधारण 12 वर्ष पश्चात हुआ है जिसमें 26 महीने की गर्भवस्था के दौरान समय से पहले प्रस्व हो गया एवं दोनों समय से पहले बच्चों की मृत्यु हो गई। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुलग्नक—3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी की भाभी को भी किड़नी में संक्रमण था इसलिए अपीलार्थी की मां ने अपनी बहू को किडनी दान की, जिससे अपीलार्थी की मां एक किडनी के सहारे जीवित है (अनुलग्नक—4 एवं 5)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित

किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, कोटपूतली बहरोड से उपकेन्द्र दयालपुरा, पाली में किया गया है। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी एक सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जो आलोच्य आदेश जारी होने से पहले कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य